



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



27 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 35 राँची, बुधवार,

17 जनवरी, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

10 जनवरी, 2024

संख्या-07/विविध (अध्यादेश)-701/2023-212--राज्य में नियुक्ति/भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा की शुचिता को बनाये रखने के लिए झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 प्रवृत्त है। झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 अधिनियम की धारा-14-"Power to amend the Schedule-The State Government may, by notification add to or exclude from the schedule any examination. " में राज्य सरकार को उक्त अधिनियम की अनुसूचित में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदत्त है।

2. नियुक्ति/भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग एवं परीक्षा की शुचिता को बनाये रखने के लिए " झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक" प्रख्यापित किया जाना है, इसलिए झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 की अनुसूची की कंडिका-3 एवं कंडिका-7 को विलोपित किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इन कंडिकाओं में अंकित प्रावधान समानांतर रूप से दोनो अधिनियमों में लागू नहीं रखे जा सकते हैं।

3. झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 की अनुसूची की कंडिका-3-" झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा" एवं अनुसूची कंडिका-7-" राजस्व पर्वद, झारखण्ड या राज्य सरकार के किसी विभाग या सार्वजनिक लोक उपक्रम या सहकारी संस्था द्वारा सेवा में भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा" के प्रावधान को विलोपित किया जाता है।
4. यह अधिसूचना "झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक" प्रख्यापित होने की तिथि से लागू होगा।
5. उक्त प्रस्ताव में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
6. उक्त प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की दिनांक-25.07.2023 की बैठक मद संख्या-29 के रूप स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राधेश्याम प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव
